न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1162/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 2840/2026
(CNR No: UPGZ010063122026)
किशन खुराना उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र स्व० रामचन्द्र उम्र करीब 68 वर्ष निवासी 151 कृष्ण नगर तहसील कम्पल जिला–पानीपत हरियाणा 132103

...................आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 54/2026
धारा–85, 115(2), 352, 109(1),351(3) बी.एन.एस. एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना –महिला थाना, जिला गाजियाबाद।

....

23.07.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त किशन खुराना उर्फ कृष्ण कुमार की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता हेतु प्रयास किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूपसे कहा गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं हो सका है। पुकार पर वादिनी की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है तथा विगत तिथि पर भी वादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण सुनवाई के उपरान्त विधिअनुसार किया जा रहा है।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

4. अभियोजन के अनुसार वादिनी का विवाह दिनांक 06.05.2019 को हितेश खुराना के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार पानीपत में सम्पन्न हुआ था। विवाह में उसके पिता जी ने करीब 15 लाख रूपये खर्च किये थे तथा विवाह में दिये गये दान दहेज से उसका पति हितेश, ससुर किशन एवं सास किरन कभी खुश नहीं थे। सभी लोग एकराय होकर उसे कम दहेज लाने के ताने देते थे तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में कार एवं 5 लाख रूपये नकद लाने की मांग करते थे तथा आये दिन दहेज की मांग को लेकर उसके साथ गाली गलौंज, मारपीट करते थे तथा शारीरिक यातनाएं देते थे। फरवरी 2020 में पुनः उसके पति , सास ससुर ने एकराय होकर रात को उसके साथ मारपीट की, गाली गलौंज की तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। वर्ष 2021 में उसकी सास की मृत्यु हो गयी। उसके पति ने नौकरी छोड दी और रोजाना घर बैठकर दोस्तों के साथ शराब पीना और आये दिन लडाई झगडा करने लगा। उसके पिता ने उसके पति को दो लाख रूपये देकर कपडे की दुकान खुलवा कर दी। 20 फरवरी 2020 को वादिनी अपने पति के साथ अपने भाई की शादी में आयी तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौंज की। दिनांक 04.10.2024 को उसका पति व ससुर शराब के नशे में घर आये तथा उसके साथ मारपीट गाली गलौंज कर गला दबाकर जान से मारने लगे। वादिनी ने अपने आपको बडी मुश्किल से छुडाया।

5. आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक /अभियुक्त पीडिता का ससुर है। आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता से कभी दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही दहेज के लिए

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.23 17:11:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रताडित किया गया है और न ही जान से मारने का प्रयास किया । आवेदक/अभियुक्त सम्मानित परिवार का सदस्य हैं। पुलिस आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहती है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा पीडिता से दहेज में 5 लाख रूपये नगद एवं एक कार की मांग की गयी और दहेज की मांग पूरी न करने के कारण उसे शारीरिक व मानसिक रूपसे प्रताडित किया गया तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत का कोई आधार नहीं है।

7. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित है कि वादिनी ने आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण पर दहेज के लिए गाली गलौंज करने, मारपीट करने तथा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वादिनी ने अभियुक्तगण पर सर्वप्रथम वर्ष 2020 में गला दबाकर जान से मारने का आरोप लगाया है परन्तु उसके उपरान्त भी वादिनी अपनी ससुराल में रही हैं। आवेदक/अभियुक्त पीडिता का ससुर है। पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। उक्त मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त आज दिनांक तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त किशन खुराना उर्फ कृष्ण कुमार की ओर से उपरोक्त अपराध में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। यदि सम्बन्धित विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित विवेचक/न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उसे अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए–

(i) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा नियत तिथियो पर उपस्थित होगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त अन्य किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(V) उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये द०प्र०सं० में दिये गये प्रपीडनात्मक कार्यवाहियो का उपयोग कर सकती है तथा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिये जाने के पश्चात अभियुक्त को तभी रिहा किया जाएगा जब उसके द्वारा सम्बन्धित न्यायालय/परीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनः नये सिरे से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 23.07.2026